

कार्यालय वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वनमण्डल, धमतरी (छत्तीसगढ़)

☎ 07722-238371(O), 236137(Fax), E-mail – dfo-dhamtari.cg@gov.in

क्रमांक/मा.चि./जी/ 2312
प्रति,

धमतरी, दिनांक: 22/05/2020

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्रबंध/व.सं.अ.)
अटलनगर नवा रायपुर
(छ0ग0)

द्वारा :- मुख्य वन संरक्षक रायपुर वृत्त रायपुर।

विषय :- **Diversion of forest land for non-forest purpose under Forest Conservation Act, 1980 Proposed for Bharat Net Phase-II Dhamtari " Bharat Net project which is a GOI initiative Under this project, connectivity will be provided at 5,987 GPS & 85 Blocks through optic fibre cable laying of approximately 32,466KM The laying of Optical Fiber cable of 32,466 KM will involve 26 districts across the State, area- 11.534 ha. regarding पंजीयन क्रमांक –FP/CG/OFC/42358/2019 Date 05.11.2019**

संदर्भ :-

1. आपका पत्र क्र/भू-प्रबंध/विविध/115-815/787 दिनांक 27.04.2020
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसायटी (चिप्स) सिविल लाईल रायपुर का पत्र क्रमांक/भानेप्रो-11/वनभूमि/प्रस्ताव/2019-20/2/1 दिनांक 15.05.2020

⊗ ⊗ ⊗

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्र. 01 के माध्यम से आपके द्वारा 5 बिन्दुओं की अतिरिक्त जानकारी चाही गई है। आवेदक संस्थान द्वारा संदर्भित पत्र क्र. 02 के माध्यम से इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है जिसका अवलोकन उपरांत बिन्दु क्रमांक 1 से 5 तक जानकारी निम्नानुसार प्रेषित है:-

क.	कमियां	निराकरण
01	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 में भाग-4 में प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा अनुशंसा प्रदाय की गई है। उक्त भाग-4 में अनुशंसा किस गैर वानिकी कार्य हेतु की गई है, या स्पष्ट रूप से अंकित नहीं है।	प्रस्ताव पृष्ठ क्र. 57 में भाग-4 में स्पष्ट रूप से गैर वानिकी कार्य (ऑप्टिकल फायबर केबल बिछाने) का उल्लेख किया गया है।
02	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। उक्त प्रमाण पत्र के बिन्दु क्र. a (ग्राम सभा का कार्यवाही विवरण) तथा b (ग्राम सभा की अनुशंसा) संबंधी जानकारी में "Not Applicable" लिखा है। भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F11-9/98-FC(pt), दिनांक 05-07-2013 में वन अधिकार अधिनियम के तहत कलेक्टर द्वारा प्रदाय किये जाने वाले प्रमाण पत्र हेतु प्रारूप निर्धारित किया गया है। उक्त प्रारूप में Linear प्रकरणों हेतु Form I निर्धारित है तथा इस Form I में FRA के अधीन Settlements of Rights संबंधी ग्रामसभा की संपूर्ण कार्यवाही कर कार्यवाही विवरण को संलग्न किया जाना उल्लेखित है।	प्रस्ताव के पृष्ठ क्रमांक 68 में कलेक्टर द्वारा वन अधिकार अधिनियम संबंधी प्रमाण पत्र प्रदाय किया गया है। जिसमें जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा निर्देश क्र. F11-9/98-FC(pt), दिनांक 03.08.2009 का उल्लेख किया गया है। जलवायु एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्र. F11-9/98-FC(pt), दिनांक 28.10.2014 में उपरोक्त पत्र का उल्लेख है जिसके अनुसार Proposal seeking prior approval under FCA 1980 for project for laying of Optical Fibre Cable are exempted from requirement of obtaining consent of the concern ggramsabha (Anner- 1,2 and 3 (Annex - 1,2 and 3)

o/c

03	संदर्भित पत्र के बिन्दु क्र. 13 में लेख अनुसार संबंधित ग्राम पंचायतों के अनापत्ति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होने का लेख किया गया है। उक्त बाबत स्थिति स्पष्ट करें।	कलेक्टर कार्यालय जिला धमतरी से दिनांक 17.10.2019 को FRA प्रमाण पत्र का अवलोकन हो, जिसके अनुसार ग्राम पंचायत की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आवेदित वन क्षेत्र में Primitive Tribes Group and Pre-Agricultural Communities निवास नहीं करती है।
04	प्रस्ताव में Chips द्वारा प्रस्तावित धमतरी वनमण्डल में अलग-अलग OFC लाईन के प्रकरणों को एकजाई कर इन लाईनों से प्रभावित हो रहे वन कक्ष के क्रमांक दर्ज करते हुए कुल रकबा 11.534 हे. वन भूमि को व्यपवर्तन हेतु आवेदित किया गया है। कृपया उपरोक्त आवेदित प्रत्येक OFC लाईन का निम्नानुसार विस्तृत विवरण प्रदाय करें :- 1. प्रत्येक OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक प्रस्तावित है। 2. प्रत्येक OFC लाईन में प्रभावित वन कक्षों का विवरण एवं कुल रकबा। 3. धमतरी वनमण्डल में प्रस्तावित उपरोक्त सभी OFC लाईनों का उपरोक्त बिन्दु क्र. 4 (1) तथा 4(2) में उल्लेख अनुसार विवरण देते हुए विषयांकित प्रस्ताव में कुल आवेदित वन भूमि की गणना प्रस्तुत करें।	यह एक OFC केबल का लीनियर प्रकरण है जो ring system पर आधारित है अर्थात जिस बिन्दु से OFC Line प्रारंभ होती है उसी बिन्दु पर आकर OFC Line समाप्त हो जाती है। शेष विवरण प्रस्ताव में चेकलिस्ट 3 में शामिल है तथा धमतरी वनमण्डल में प्रस्तावित OFC लाईन किस ग्राम से किस ग्राम तक गुजर रही है, उनका वनखण्ड वार तथा कक्ष वार विवरण सूचीबद्ध करते हुए संलग्न किया जा रहा है। (Annex - 4 and 5)
05	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 अधूरा एवं अहस्ताक्षरित है	प्रस्ताव के पृष्ठ क्र. 57 के प्रपत्र-4 में प्रस्ताव को भारत सरकार पर्यावरण एवं वन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय नागपुर को प्रेषित पत्र क्रमांक एवं दिनांक का उल्लेख करते हुये छत्तीसगढ़ शासन की अनुशंसा उपरान्त हस्ताक्षर नोडल अधिकारी द्वारा किया जाना है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

पृ.क्रमांक/मा.चि./जी/ 2313

प्रतिलिपि :- संयुक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी छत्तीसगढ़ इन्फोटेक प्रमोशन सोसाइटी (चिप्स) सिविल लाईन रायपुर (छ0ग0) की ओर सूचनार्थ।

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल धमतरी
धमतरी, दिनांक: 22/05/2020

वनमंडलाधिकारी

सामान्य वनमंडल धमतरी